रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अप्रैल 30—मई 6, 2017, शनिवार/वैशाख 10—वैशाख 16, 1939
No. 18] NEW DELHI, APRIL 30—MAY 6, 2017, SATURDAY/VAISAKHA 10—VAISAKHA 16, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का.आ. 1120.—केन्द्र सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार गृह (एससी) विभाग की सहमति से दिनांक 01.06.2016 की जी.ओ.एम.सं. 67 द्वारा (i) निजी व्यक्तियों द्वारा अलग से या केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से किए गए और (ii) निजी व्यक्तियों द्वारा अथवा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से अथवा उनके साथ कार्य करते प्रथम राजपत्रित स्तर तक के राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए उक्त अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, 1946 के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार एतद्वारा पूरे आंध्र प्रदेश राज्य पर करती है। फिर भी, राज्य सरकार के द्वितीय स्तर के राजपत्रित पदों के अधिकारियों, आसीन अथवा पूर्व विधायकों, संसद सदस्यों और विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों (यहां तक कि सहकारिता आदि के मंत्री/अध्यक्ष भी) के मामले में सीबीआई प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व सहमति होगी लेगी।

(क) (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संगत धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराध (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 49)

(ii) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) (अनुबंध-I में सूची)

(iii) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध (अनुबंध-II में सूची)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का.आ. 1160.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"मालदा जिला (पश्चिम बंगाल) के सभी क्षेत्र/संपूर्ण क्षेत्र" ।

[सं. एस-38013/01/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2017

S.O. 1160.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

"All the areas of the District Malda, West Bengal."

[No. S-38013/01/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का.आ. 1161.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ईसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 67/1996) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.04.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/199/1995-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 27th April, 2017

S.O. 1161.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (Ref. No. 67 of 1996) as shown in Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. ECL and their workmen, which was received by the Central Government on 27.04.2017.

[No. L-20012/199/1995-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10(1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

Reference No. 67 of 1996

Employer in relation to the management of Chapapur Colliery of M/s. ECL

AND

Their workman

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers : None

For the workman : None

State : Jharkhand Industry : Coal